प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 09.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फरियादियों को आश्वस्त करते हुए सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक 09.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया, जिससे फरियादियों के चेहरे में सम्बन्धित शिकायत के जल्द निस्तारण होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। सभी फरियादियों ने आश्वस्त होकर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है।

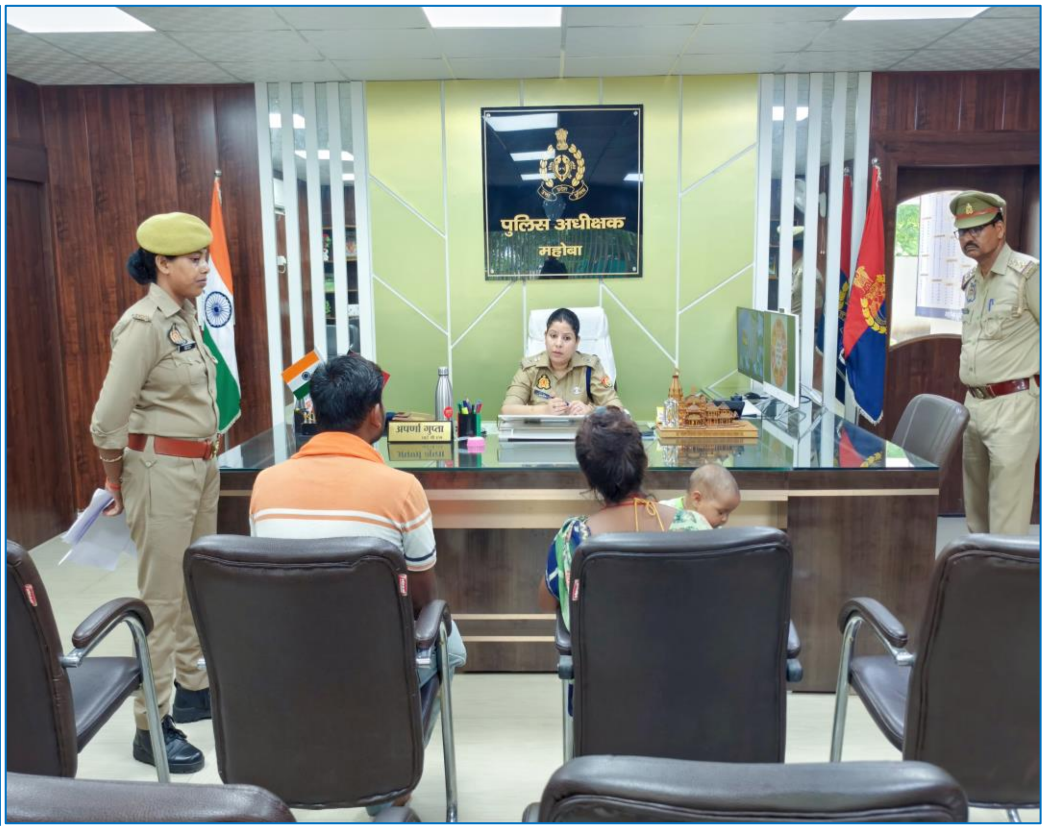

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपरधिक प्रवृत्ति के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 09.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त लखनलाल पुत्र तुलसीदास उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम भटेवर कला थाना चरखारी जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 05 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ नाजायज बरामद करते हुए ग्राम भटेवर कला थाना चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

लखनलाल पुत्र तुलसीदास उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम भटेवर कला थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2. का0 मो0 कामिल

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 09.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने गैंगेस्टर एक्ट के वांछित 02 नफर शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु शातिर अपराधियों के क्रियाकलापों पर पैनी नजर रख उनके सत्यापन की कार्यवाही व आपराधिक कृत्य पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 09.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 450/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. विनोद यादव पुत्र कामता उम्र करीब 28 वर्ष निवासी एचाना थाना खरेला जनपद महोबा 2. सेवेंद्र राजपूत पुत्र सुखिया उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विनोद यादव पुत्र कामता उम्र करीब 28 वर्ष निवासी एचाना थाना खरेला जनपद महोबा
2. सेवेंद्र राजपूत पुत्र सुखिया उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 आशिक अली
3. उ0नि0 रमाशंकर शुक्ल
4. हे0का0 विकास सिंह
5. का0 प्रवीण कुमार यादव
6. कां0 आशीष पाल
7. कां0 अवनेश कुमार